प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 109/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम 2019 जारी किया।

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया है।

2. लेखापरीक्षा नियमावली को तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान कुछ टिप्पणियों और निष्कर्षों में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची 3 में कुछ मुद्दों को उठाया गया है। तदनुसार, 27 अगस्त, 2019 को ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया गया था।

3. इन ड्राफ्ट विनियमों पर प्राप्त टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गईं। इसके बाद, 26 सितंबर 2019 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का भी आयोजन किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों और बाजार के घटनाक्रम के विश्लेषण के आधार पर नियमों में संशोधन किए गए हैं। इन विनियमों के द्वारा प्राधिकरण ने इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची 3 में संशोधन किया है, जो निम्नानुसार हैः –

1) लेखापरीक्षा की शड्यूलिंग और स्कोप

2) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) प्रणाली की ट्रांजेक्शनल क्षमता

3) सेट टॉप बॉक्स में दृश्यमान और गुप्त फिंगरप्रिंटिंग के लिए सपोर्ट

4) सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो

4. शड्यूलिंग में इस तरह से संशोधन किया गया है कि पे टीवी प्रसारण सेवाओं के वितरक दो वार्षिक लेखापरीक्षा के बीच कम से कम छह महीने का अंतर रखेंगे और अधिकतम समय अंतराल अठारह महीने है। इसी तरह, सीएएस और एसएमएस सिस्टम के लिए आवश्यक न्यूनतम ट्रांजेक्शन क्षमता को पहले के 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत तक किया गया है। नए

फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के बाद से, सभी वितरक ऐसे एसटीबी लगा रहे हैं, जो गुप्त और दृश्यमान फिंगरप्रिंटिंग के अनुरूप हैं। प्राधिकरण ने पहले से ही लागू उपकरणों के कारण इस पहलू पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम 2017 के अनुसूची 3 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है।

5. संशोधित विनियम पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों[1] द्वारा मौजूदा विनियमों के अनुसार किए गए विश्वास आधारित लेखापरीक्षा व्यवस्था के पूर्णतया अनुपालन करने में सहायक होंगे।

6. ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम 2019'' भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>

[1] प्राधिकरण ने पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों की एक सूची अलग से जारी की है। इस सूची को प्रधाकरण की वेबसाइट https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Panel_Auditors_23102019_O.pdf पर देखा जा सकता है।